

स्वर मांझी, पिता - खंडा मांझी

### अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

आभिलेख वाद संख्या- 51/2020-21(11)...

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
03/09/2020	<p>वाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0निति-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्म की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-</p> <p>मौजा- साधोवाड़ थाना नं0- 47 खाता संख्या- 69 प्लॉट संख्या- 233 रकबा- 5376 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- 1 के पृष्ठ संख्या- 143 पर जमाबंदी रैयत गोन्दोशी महल पिता अनपन महल के नाम से कायम है।</p>	
	<p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p>	
	<p>हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उघेश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p>	
	<p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p>	
	<p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p>	
	<p>आभिलेख दिनांक- 19/09/2020 को उपस्थापित करें।</p>	
		<p>03/9/20 अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- गान्दारी गहनी  
पि० ज्ञानपत गहनी
2. जमाबंदी सं संबंधित भूमि का विवरण :-  

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>साधावाट</u>	<u>५७</u>	<u>६९</u>	<u>२३५</u>	<u>५५०</u>
3. जमाबंदी पंजी-II के जित्द संख्या.....!..... पृष्ठ सं०-.....१५३..... पर कायम है-
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है-
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- जैरखावाट खाता
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई हैं :- अवर दफतल
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबन्दोवस्ती) - अवर दफतल
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोवस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) पंजी १ से  
अवर दफतल
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्रम संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
-------------	------------------	------------------	------------

उ००३० / अ० ११० / गोविन्दपुर

महाश्व

उपरोक्त भूमि संबंधित पंजी के अनुसार जैरखावाट खाते की छवि है। संबंधित पंजी में जमाबंदी सं० ५०१५३ दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में अवर दफतल के द्वारा ५५ (११) १९६२-६३ अंकित है। उक्त जमाबंदी संदेहास्पद प्रतीत होता है।

कतः जमाबंदी रद्द / निष्प्रगतिकरण हेतु अग्रतर कार्यवाही की जा सकती है।

महेश्वर